समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)
(जिला निर्वाचन शाखा)
–निविदा–

रोहतास जिलान्तर्गत पुराने निर्वाचक सूची/पुराना स्टैट्युटरी/नन स्टैट्युटरी पैकेट्स अन्य कागजातों का श्रेडिंग मशीन से लुग्दीकरण के पश्चात् बिक्री हेतु इच्छुक निविदादाताओं से द्वि लिप प्रणाली के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। फर्म जो निविदा के शर्तों को पूरा करते हैं, सीलबंद लि में एक तकनीकी निविदा तथा दूसरा वित्तीय निविदा उप निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास के कार्याल दिनांक 01.09.2018 को अपराह्न 01:00 बजे तक दे सकते हैं। तकनीकि निविदा के सफल होने प वित्तीय निविदा खोली जाएगी। प्राप्त सभी निविदाओं को दिनांक 01.09.2018 के अपराह्न 03:00 बजे ि क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। स्वयं निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में भाग सकते हैं। निविदा के सम्बंध में विशेष जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, रोहतास से किसी भी कार्य ि में प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विशेष जानकारी **https://rohtas.bih.nic.in** **www.prdbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

(क) सामान्य शर्तें :–

- (i) इच्छुक फर्म को जी0एस0टी0 एवं आयकर में निबंधित होना होगा।
- (ii) एतदर्थ स्वहस्ताक्षरित साक्ष्य तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- (iii) निविदा के साथ अग्रधन के रूप मे 25000.00 (पचीस हजार रूपए) का बैंक ड्राफ्ट ि पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पदनाम से तकनीकि निविदा के साथ सं करना होगा।
- (iv) निविदादाताओं को स्वच्छता प्रमाण–पत्र तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- (v) निविदादाता को तीन वित्तीय वर्ष 2015–16/2016–17/2017–18 का अंकेक्षण प्रतिवेदन आयकर रिटर्न तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- (vi) निविदादाता को Black Listed नहीं होने का प्रमाण–पत्र तकनीकि निविदा के साथ सं करना होगा।

(ख) अन्य प्रमुख शर्तें :–

- (i) रद्दी कागजातों का मूल्य एक मुश्त में जिला निर्वाचन शाखा रोहतास में जमा करने के प ही निष्पादित कागजातों के उठाव की अनुमति दी जाएगी।
- (ii) सम्बंधित फर्म को बिक्री के पश्चात् उक्त कागजातों की लुग्दी को मिल में देकर गलाई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही जमानत की राशि दी जाएगी।
- (iv) लुग्दीकरण के बिना किसी भी परिस्थिति में निर्वाचक संबंधी कागजातों को समाहरणालय प से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एतदर्थ निविदादाता को अपने खर्च पर श्रेडिंग मशीन ल अनिवार्य होगा।
- (v) कार्यालय द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर रद्दी कागजातों का उठाव करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान के द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी एवं काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।
- (vi) उच्चतम दर वाले निविदादाता का हीं निविदा स्वीकृत किया जाएगा।
- (vii) बिना कारण बताए किसी निविदा को अस्वीकृत करने अथवा अधिकतम दर के आधार पर ए अधिक निविदादाताओं को रद्दी कागजातों की बिक्री स्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्त को सुरक्षित रहेगा।

(viii) निर्धारित तिथि को समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(ix) लुग्दीकरण का कार्य निर्वाचन विभाग, पटना से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के समक्ष करना होगा।

(x) निविदादाताओं को निर्वाचक सूची, स्टैट्युटरी/नन स्टैट्युटरी पैकेट्स एवं अन्य रद्दी कागजातों का दर प्रति किलों अलग–अलग वित्तीय निविदा में अंक एवं अक्षर में प्रस्तुत करना होगा।

12/08/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, रोहतास